

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 806 / 2013 / बाड़मेर

सहायक आयुक्त

वृत बालोतरा

बनाम

मैसर्स हाइड्रो एयर टैक्टोनिक (पीसीडी) प्रा०लि०,
बालोतरा

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04 / 04 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी—विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 24/आरवेट /बीएमआर/11-12 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बालोतरा (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित वर्ष 2006-07 हेतु पारित आदेश दिनांक 20.09.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 26 के तहत कायम मांग राशियों के संबंध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी एक ठेकेदार है, जिसके द्वारा पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका प्राप्त किया गया था। इस प्राप्त ठेका कार्य में से रूपये 3,62,72,934/- का सब-कॉन्ट्रैक्ट अन्य फर्म मैसर्स लॉयन्स कन्स्ट्रक्शन, बालोतरा को दिया गया। सब-कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए ठेके कार्य की राशि को प्रत्यर्थी के टर्नओवर में छूट प्रदान नहीं की गयी। इसके अलावा प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त सकल लाभ पर चाही गयी छूट भी अस्वीकार की गयी है एवं वैट पेड माल जिस पर पुनः बिक्री घोषित नहीं की

3/

4/

जाना बताया गया है, पर आगत कर का लाभ स्वीकार नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा समुचित रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। इसके अलावा विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने से धारा 58 के तहत रुपये 19,390/- की शास्ति आरोपित की है जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील को निस्तारित करते हुए प्रकरण पुनः जांच के पश्चात निर्णय पारित करने हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी ठेकेदार द्वारा पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका कार्य किया गया। प्रत्यर्थी ठेकेदार ने प्लांट में इलैक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल व सिविल निर्माण कार्य किया है। ठेका कार्य में लोहा, हार्डवेयर, पाईप आदि 4 प्रतिशत करयोग्य माल एवं वजन आधारित करयोग्य माल गिटी, बैलास्ट, बजरी, रबल आदि पर उपरोक्त अनुसार कार्य की प्रकृति के मध्यनजर सर्वोत्तम विवेक से करारोपण किया गया है जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है वह अनुचित व विधि विरुद्ध है अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए सशक्त अधिकारी के आदेश को बहाल करने के साथ—साथ विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि प्रत्यर्थी को बालोतरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु ठेका कार्य प्राप्त हुआ था जिसमें से प्रत्यर्थी द्वारा कुछ सिविल कार्य हेतु सब—कॉन्ट्रैक्ट बालोतरा की पंजीकृत फर्म मैसर्स लॉयन्स कन्स्ट्रक्शन को दिया गया था। उन्होंने कथन किया कि सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो सिविल कार्य किया गया है वह सीधे ठेका प्रदाता (Awarder) के कार्य स्थल पर किया गया है। इस कार्य निष्पादन में माल का हस्तान्तरण सब—कॉन्ट्रैक्टर से अवॉर्डर को सीधे होता है एवं इस माल के लिए मुख्य ठेकेदार का कोई कर दायित्व नहीं है। अतः सब—कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निष्पादित किए गए कार्य की राशि को प्रत्यर्थी के टर्नओवर से कम नहीं किया जाना विधिसम्मत नहीं था। प्रत्यर्थी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम

न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ ए.पी. बनाम L&T Ltd. के निर्णय (2008) 22 टैक्स अपडेट 13 का हवाला देते हुए कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय में Builders Association of India & Ors Vs Union of India & Ors (1989) 73 STC 370 के निर्णय को संदर्भित करते हुए यह अवधारित किया जा चुका है कि ठेका कार्य में माल का हस्तान्तरण प्रत्यक्ष रूप से एक ही जगह पर होता है, अतः deemed sale सब-कॉन्ट्रैक्टर से सीधे अवॉर्डर को ही की गई मानी जायेगी। संविदा कार्य में कर की देयता अधिनियम की धारा 2(35)(ii) के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए सब-कॉन्ट्रैक्ट में संविदा कार्य पर करदेयता सब-कॉन्ट्रैक्टर की है जो उसके द्वारा किए गए कार्य पर करदेयता के लिए उत्तरदायी है एवं मुख्य ठेकेदार से वह राशि कम होनी चाहिये।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स L&T Ltd. के उक्त उद्धरित निर्णय एवं Gannon Dunkerley & Co Vs State of Raj & Ors (1993) 88 STC 204 के निर्णय में भी यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चुकायी गयी राशि की छूट मुख्य कॉन्ट्रैक्टर (Awarder) को प्राप्त होगी, अतः सब-कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किये गये कार्य जिस पर कि उसने नियमानुसार कर चुका दिया है वह टर्नओवर मुख्य कॉन्ट्रैक्टर के टर्नओवर में से कम किया जायेगा तथा इस पर दोहरा करारोपण नहीं किया जा सकता।
6. विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत रुपये 19,390/- की शास्ति आरोपित की है जबकि प्रत्यर्थी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आने से धारा 58 की उपधारा (1) के तहत शास्ति का दायी नहीं है बल्कि धारा 58(2) के तहत ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। इस संबंध में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा CTO Vs Beant Construction के प्रकरण में Appeal No. 3442/2005 निर्णय दिनांक 05.09.2006 को उद्धरित करते हुए कथन किया कि ठेका व्यवसायी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है अतः उस पर धारा 58(1) के तहत शास्ति आरोपणीय नहीं है। अपने इन कथनों के प्रकाश में उन्होंने अपीलीय आदेश को उचित बताते हुए विभागीय अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।
7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of A.P. Vs L&T Ltd. के प्रकरण में दिए गए निर्णय का अध्ययन करने पर पाया कि इसमें अवधारित सिद्धान्त

31

4

के अनुसार संविदा कार्यों में माल का हस्तान्तरण एक व्यक्ति से एक निश्चित जगह पर स्थायी रूप से एक बार ही हो सकता है जिससे सब-कॉन्ट्रैक्टर से माल का सीधा हस्तान्तरण अवॉर्डर को ही होता है अतः सब कॉन्ट्रैक्टर के कार्य को मुख्य कॉन्ट्रैक्टर के टर्नओवर से कम किया जाना विधिक बाध्यता है। इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित निर्णय के उल्लेखनीय अंश निम्नानुसार हैं:-

"19. If one keeps in mind the above quoted observation of this Court in the case of Builders' Association of India (supra) the position becomes clear, namely, that even if there is no privity of contract between the contractee and the sub-contractor, that would not do away the principle of transfer of property by the sub-contractor by employing the same on the property belonging to the contractee. This reasoning is based on the principle of accretion of property in goods. It is subject to the contract to the contrary. Thus, in our view, in such a case the work, executed by a sub-contractor, results in a single transaction and not as multiple transactions. This reasoning is also borne out by Section 4(7) which refers to value of goods at the time of incorporation in the works executed. In our view, if the argument of the Department is to be accepted it would result in plurality of deemed sales which would be contrary to Article 366(29A)(b) of the Constitution as held by the impugned judgment of the High Court. Moreover, it may result in double taxation which may make the said 2005 Act vulnerable to challenge as violative of Articles 14, 19 (1)(g) and 265 of the Constitution of India as held by the High Court in its impugned judgment."

8. लार्सन एण्ड टूबरो के उक्त निर्णय [(2008) 22 टैक्स अपडेट 13] में आंध्रप्रदेश राज्य के वर्ष 2005–06 में यथा विद्यमान वैट प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवादित थे जिनमें कि सब-कॉन्ट्रैक्टर की टर्नओवर को मुख्य कॉन्ट्रैक्टर की टर्नओवर में से घटाये जाने के प्रावधान विचाराधीन अवधि में विद्यमान नहीं थे, परन्तु कालांतर में (दिनांक 20.08.2007 से) वहां भी नियमों में संशोधन करते हुए तदनुरूप प्रावधान कर दिये गये थे। इसी प्रकार राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिन्हें आगे "वैट नियम" कहा जायेगा) में आरम्भ में सब-कॉन्ट्रैक्टर की टर्नओवर को घटाने के कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं थे परन्तु दिनांक 09.03.2007 से नियम 22 में नया उपनियम (2A) जोड़ा गया था जिसमें यह प्रावधान थे कि कार्य संविदा के मामलों में जहां कॉन्ट्रैक्टर करमुक्ति शुल्क के लिये आवेदन करता है तथा वह पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट या उस कॉन्ट्रैक्ट से सम्बन्धित कुछ भाग किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर को अवॉर्ड कर दिया जाता है तो सब-कॉन्ट्रैक्टर

31

11

की टैक्सेबल टर्नओवर में से ऐसे कार्य संविदा में हस्तान्तरित माल की टर्नओवर कम किया जायेगा। उक्त उपनियम को दिनांक 14.07.2014 से डिलीट कर दिया गया तथा वर्क्स कॉन्क्रेक्ट के सम्बन्ध में टैक्सेबल टर्नओवर की गणना के निर्धारण के सम्बन्ध में नया नियम 22A जोड़ा गया जिसमें दिनांक 09.03.2015 को संशोधन करते हुए Sub-Rule(1) में क्लॉज़ (bb) जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान किये गये कि सब-कॉन्क्रेक्टर द्वारा जिस कार्य पर कर चुका दिया गया है उसे मुख्य कॉन्क्रेक्टर की टैक्सेबल टर्नओवर में से घटाया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण चूंकि वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित है तथा जिस अवधि में सब-कॉन्क्रेक्टर की टर्नओवर को घटाये जाने के विशिष्ट प्रावधान विद्यमान नहीं थे, अतः ऐसी दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय का उक्त सन्दर्भित निर्णय लागू होगा।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय [(2008) 22 टैक्स अपडेट 13] के अनुसार चूंकि सब कॉन्क्रेक्टर पर उसके द्वारा हस्तान्तरित किये जाने वाले माल पर कर की देयता है और वह माल सीधे अवॉर्डर को ही स्थानान्तरित किया गया है ऐसी स्थिति में इस निर्णय अनुसार एक ही डीम्ड सेल पर दो बार करारोपण नहीं किया जा सकता है अतः ऐसी दशा में डीम्ड सेल को माल के हस्तान्तरण की स्टेज पर ही माना जा सकता है। अतः सब-कॉन्क्रेक्टर की राशि की छूट प्रत्यर्थी कॉन्क्रेक्टर के टर्नओवर से दिया जाना विधिसम्मत है।
10. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर इसे कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:-
 - (i) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय State of A.P. Vs Larsen & Toubro Ltd [(2008) 22 TUD 13] के प्रकाश में सब-कॉन्क्रेक्ट की राशि की छूट अपीलार्थी को प्रदान करें;
 - (ii) चूंकि विवादित कर निर्धारण सर्वोत्तम विवेक से सम्पूरित किया गया था अतः लेखा पुस्तकों से आवश्यक जांच कर हस्तान्तरित माल के लाभ सहित मूल्य पर इस deemed sale पर करारोपण की कार्यवाही करें तथा खरीदे गये माल पर चुकाये गये कर की नियमानुसार आई.टी.सी. प्रदान करें; तथा
 - (iii) धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में कर बोर्ड के संदर्भित निर्णय के प्रकाश में शास्ति आरोपण करें।

11. ऊपर विवेचनानुसार समस्त विन्दुओं पर विचारोपरान्त यह पाया जाता है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश well reasoned order है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, लिहाजा इसकी पुष्टि करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।

31

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

4

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य